छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय – ब्लाक–7A, सेक्टर–24, ऑफिस काम्प्लेक्स,
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग)

कॉल सेंटर में 05 ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक :– 346 रायपुर, दिनांक : 13/06/2019

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदाकार/फर्म का नाम एवं पता :– .....
.....

निविदा प्रपत्र का शुल्क	निरंक
अमानत राशि	25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र)
निविदा जारी करने की तिथि	13/06/2019
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	12/07/2019, अपरांह 3 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि व समय	12/07/2019, अपरांह 4 बजे।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय – ब्लाक–7A, सेक्टर–24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग)

–: निविदा की शर्तें :–

1. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा संचालनालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में संचालित कॉल सेंटर हेतु 05 (पांच) ऑफिस असिस्टेंट (मानव संसाधन) सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता (प्लेसमेंट एजेंसी) चयन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कॉल सेंटर रायपुर में (ऑफिस असिस्टेंट) मानव संसाधन सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती है।
2. निविदाकारों को अमानत राशि के रूप में रू. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से रायपुर में देय बैंक डाफ्ट टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है।
3. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी, जिसे सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के पश्चात् वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
4. प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्युनतम मापदण्ड :–
   I. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में समान प्रकृति के विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   II. गत वर्ष 2016–17 अथवा 2017–18 का फर्म के स्वयं का मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू. 10 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र में मानव संसाधन सेवा के टर्न ओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
   III. वैधानिक पंजीयन जैसे एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, सर्विस टेक्स/जीएसटी आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
   IV. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नम्बर प्राप्त हो, पेन कार्ड की प्रति जमा करना होगा।
5. आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 में से दो वित्तीय वर्ष का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के अंर्तगत उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के विभिन्न कार्य के अनुसार कर्मियों के वर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक एवं कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण हो तथा शासकीय/अर्धशासकीय

संस्थानों के कॉल सेंटर में कार्य करने का अनुभव हो। साथ ही छ.ग. का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना दिया जाने पर उक्त अनुसूची में वर्णित अहर्ता वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की संख्या में कमी या बढोत्तरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। कॉल सेंटर हेतु मानव संसाधन सेवाएँ प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे। नियोजित मानव संसाधन सेवाएँ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य सेवक एवं नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई मानव संसाधन सेवा कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण सत्यापन आदि के अनुसार उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

7. निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि कार्यादेश से एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अवधि एक–एक वर्ष करके आगामी दो वर्षों तक बढायी जा सकेगी जिसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी बाध्य रहेगी। सफल निविदाकार द्वारा 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की अमानत/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए आगामी तीन वर्ष हेतु निगम में निविदा हेतु अपात्र सूची में डाल दिया जाएगा।

8. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान :–**

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को बिन्दु क्र. 11 के अनुरूप एकमुश्त देयक राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा। निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार कर्मचारियों से उनके अंश के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खाता में प्रतिमाह जमा करना होगा।

9. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव :–**

अ. प्लेसमेंट एजेंसी को उपरोक्त अनुसूची में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा किए जाने वैधानिक देय राशि का स्पष्ट उल्लेख दर प्रपत्र में करना होगा। वैधानिक रूप से देय राशि अथवा उसके प्रतिशत में कमी दर्शाने वाले वित्तीय प्रस्ताव के निविदा अमान्य किये जाएगें।

ब. सेवा अनुबंध अवधि सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी परंतु आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि में एक–एक वर्ष करके आगामी दो वर्षों तक वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

10. प्रस्ताव जमा करने की विधि – सीलबंद प्रस्ताव निर्धारित दर–प्रपत्र में दिये जावेंगे तथा पृथक लिफाफे का उपयोग किया जाएगा, बंद लिफाफा के ऊपर में **फाईनेन्शियल बिड** लिखा होगा। एक अन्य लिफाफा में डी.डी, अमानत राशि रू. 25,000/– की **"छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर"** के नाम से डी.डी., वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रमाणित

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

प्रतियां जमा करना अनिवार्य है। लिफाफा के ऊपर में **टेक्निकल बिड** लिखा होगा। प्रस्ताव जमा किये जाने की अंतिम तिथि 12/07/2019 को अपरांह 3.00 बजे तक है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. निविदाकार द्वारा, शासन द्वारा कार्यालय सहायक (कनिष्ठ सहायक) के लिये मान्य समेकित न्यूनतम वेतन देना होगा, जिसका वर्तमान दर प्रति व्यक्ति राशि रू. **12,675/- (बाहर हजार छः सौ पचहत्तर रूपये मात्र)** प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही **परिशिश्ट-1** में निविदा दरें भरी जायेगी।

अन्य शर्तें :-

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फण्ड तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी का होगा।

I. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग में जमा की गयी राशि की रसीद की छायाप्रति प्रतिमाह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करना होगा जिसके उपरांत ही अगला भुगतान किया जावेगा।

II. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

III. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना होगा कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जानकारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।

IV. नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि का भुगतान EPF एवं ESIC कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि के अलावा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस का भुगतान माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्लेसमेंट एजेंसी को किया जायेगा।

V. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 8 घंटे होगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य का समय निर्धारित किया जा सकेगा।

VI. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

VII. कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

VIII. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत संतोषप्रद उत्तर न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

IX. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रदत्त मानव संसाधन सेवाएँ द्वारा कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी के शिकायत पर प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

X. कॉल सेंटर हेतु कार्यालय सहायक की संख्या में परिवर्तन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के आदेश से किया सकेगा।

XI. शासन द्वारा निर्धारित सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. को पृथक से दर्शाते हुए फर्म अपनी दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।

XII. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

XIII. बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

XIV. संविदा वेतन की दरें समय–समय पर राज्य शासन द्वारा परिवर्तित किये जाने पर तद्नुसार दरें स्वीकृति उपरान्त संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम का होगा।

XV. फर्मों को अब तक उनके द्वारा देय सर्विस टैक्स, जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

XVI. उपरोक्त शर्तो का पालन नही करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्ष हेतु ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत राशि राजसात की जावेगी।

XVII. व्यवहार में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक (प्रशासन)
13/6/2019

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–1

प्रस्तुत की जाने वाली दरों का विवरण :–

क्र.	विवरण	दर (राशि रू0 में) (क्र. 02 में दर्शित कुल योग की राशि अंकों एवं शब्दों में भरी जावे)
1	2	3
1	प्रति कार्यालय सहायक के लिए प्रतिमाह निविदा राशि :– 1. संविदा वेतन — 12,675.00 2. ईपीएफ (नियोक्ता अंशदान) + ... 3. ईएसआईसी (नियोक्ता अंशदान) + ... 4. फर्म का सर्विस चार्जेस + ... 5. टैक्स (जीएसटी/वैट/अन्य) + ... कुल योग [कुल योग अनुसार प्रस्तावित दर कॉलम 03 में दर्शित किया जावे]	अंकों में ..... रूपये, शब्दों में .... रूपये

- प्रति कार्यालय सहायक को प्रतिमाह फर्म द्वारा निर्धारित वेतन या राशि रू. ..... देय होगी।
- उक्त प्रतिमाह देय राशि में नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी कटौत्रा की जिम्मेदारी फर्म की होगी, नियोक्ता का अंशदान फर्म द्वारा ही दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों (सर्विस टेक्स/जीएसटी सहित) के भुगतान की जवाबदेही फर्म की होगी।
- उपरोक्त कार्यालय सहायक के लिए प्रतिमाह देय राशि पूर्व वर्णित दरों के विवरण वाले प्रपत्र में पूर्ण रूपेण प्रविष्टि कर प्रस्तुत करनी होगी, यदि वर्तमान में लागू वैधानिक देयताओं (ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.एस.टी./वैट की दरों) की कुल राशि में कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- संविदा वेतन की दरें समय–समय पर राज्य शासन द्वारा परिवर्तित किये जाने पर तद्नुसार दरें स्वीकृति उपरान्त (विवरण कॉलम 2 में 1, 2, 3 व 5) संशोधित की जा सकेगी। सर्विस चार्जेस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं पता

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–2

प्रस्तुत की जाने वाली टेक्निकल बीड की सूची

1. फर्म/संस्था का नाम व पता : .....
   .....
   .....
2. ई.एम.डी. राशि का विवरण : .....
3. पेन नम्बर : .....
4. टेन नम्बर : .....
5. वार्षिक टर्न ओवर : .....
6. 02 वर्ष का आयकर रिटर्न : .....
   (वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में से)
7. जी.एस.टी. पंजीयन : .....
8. पी.एफ. पंजीयन : .....
9. श्रमिक अनुज्ञा : .....
10. फर्म का स्वरूप :– : .....
    (कम्पनी/व्यक्तिगत/पार्टनरशिप)
11. शासकीय/अशासकीय कार्यालय : .....
    में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं पता

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील